भारत की न्यायपालिका में सुधार: लंबित मामलों से निपटना और निचली अदालतों को मजबूत करना

UPSC परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): अनुच्छेद 21, 39A; ई-कोर्ट्स परियोजना (e-Courts Project); एनजेडीजी (NJDG); एआईजेएस (AIJS) प्रस्ताव।**
- **मुख्य परीक्षा (Mains) (GS2): न्यायपालिका में सुधार, शासन और सेवा वितरण (governance & service delivery), न्याय तक पहुँच, निचली न्यायपालिका की भूमिका।**

ख़बरों में क्यों

भारत में **न्यायिक मामलों का लंबित होना 5 करोड़** से अधिक हो गया है, जिसमें से **4 करोड़ से अधिक मामले अधीनस्थ (निचली) अदालतों** में लंबित हैं (नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, 2025)। न्यायिक सुधारों पर हालिया बहसों में निचली अदालतों को आधुनिक बनाने, सक्षम न्यायाधीशों की भर्ती करने और समय पर न्याय के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया गया है।

पृष्ठभूमि

अधीनस्थ अदालतें भारत के लगभग **90% मुकदमों** को संभालती हैं, जिनमें दीवानी (सिविल), आपराधिक, वाणिज्यिक और पारिवारिक विवाद शामिल हैं। ढाँचागत बाधाएँ, प्रशासनिक बोझ, पुराने पड़ चुके कानून और सीमित मानवशक्ति व्यवस्थित देरी में योगदान करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि **शीघ्र न्याय** अनुच्छेद 21 के तहत एक **मौलिक अधिकार** है, जो लंबित मामलों को केवल एक प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि एक **संवैधानिक चिंता** बनाता है।

कानूनी ढाँचा:

- **अनुच्छेद 21:** शीघ्र न्याय का अधिकार
- **अनुच्छेद 39A:** न्याय तक समान पहुँच
- **अनुच्छेद 233–237:** निचली न्यायपालिका की नियुक्ति और रूपरेखा
- **शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers):** एक स्वतंत्र और कुशल न्यायपालिका अनिवार्य करता है।

निचली न्यायपालिका का महत्व

- **नागरिक-राज्य संपर्क का पहला बिंदु:** यह ज़मीन विवादों, पारिवारिक मामलों, छोटे-मोटे अपराधों और स्थानीय शासन के मुद्दों का समाधान करती है।
- **पहुँच और समावेशिता:** यह ज़मीनी स्तर पर नागरिकों को **किफायती कानूनी उपचार** प्रदान करती है।
- **उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करना:** कुशल निचली अदालतें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को बढ़ने से रोकती हैं।
- **सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना:** समय पर न्याय देने से विवादों को सामाजिक संघर्षों में बदलने से रोका जा सकता है।
- **उदाहरण:** ग्रामीण क्षेत्रों के ज़िला न्यायालय रोज़ाना बड़ी संख्या में **ज़मीन विवाद** और **पारिवारिक विवादों** के मामलों को संभालते हैं, जिससे इन मामलों को अनावश्यक रूप से उच्च न्यायालयों तक पहुँचने से रोका जा सकता है।

निचली न्यायपालिका के सामने चुनौतियाँ

विशाल लंबितता

- **अधीनस्थ अदालतें:** ~4.2 करोड़ मामले
- **हाई कोर्ट:** ~60 लाख; **सुप्रीम कोर्ट:** ~80,000
- **न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात:** भारत में प्रति दस लाख लोगों पर 21 न्यायाधीश हैं, जबकि **50 की सिफारिश** की गई है (भारतीय विधि आयोग, 2022)।
- देरी से **जनता का विश्वास कम** होता है और मुकदमों की **लागत बढ़** जाती है।

प्रशासनिक अतिभार (Overload)

- न्यायाधीश रोज़ाना **लगभग 2 घंटे** clerical (लिपिकीय) कार्यों पर खर्च करते हैं: समन जारी करना, वकालतनामा प्राप्त करना, मामलों को बुलाना और संक्षिप्त नोट (docket notes) लिखना।
- **उदाहरण:** कई ज़िला अदालतों में, सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के बाद तक मामले बुलाए जाते हैं, जिससे **वास्तविक सुनवाई के लिए बहुत कम समय** बचता है।

पुराने कानून और प्रक्रियात्मक जटिलताएँ

- औपनिवेशिक काल (Colonial-era) के CPC (नागरिक प्रक्रिया संहिता) के प्रावधान कार्यवाही को धीमा करते हैं।
- **आदेश XXI** के decrees (न्यायादेश) को लागू करने के नियम (106 अत्यंत तकनीकी नियम) का अक्सर **फैसले को लागू करने में देरी** करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है।
- **उदाहरण:**
  - **पाटिल ऑटोमेशन बनाम रखेजा इंजीनियर्स (2022):** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12(a) के तहत अनिवार्य **प्री-सूट मेडिएशन** (मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता) ने अनावश्यक रूप से वाणिज्यिक मुकदमों में देरी की।

- **आपसी सहमति से तलाक में छह महीने की कूलिंग-ऑफ़ अवधि:** सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने के इच्छुक जोड़ों को **जबरन देरी** का सामना करना पड़ता है, कभी-कभी वे कानून से बचने के लिए असत्य घोषणाएं भी करते हैं।
- **नए किराया अधिनियम की अस्पष्टताएँ:** इस बात पर विवाद कि क्या मौखिक पट्टे या कब्ज़ा देना किराया अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे दीवानी/वाणिज्यिक अदालतों में मुकदमेबाज़ी बढ़ रही है।

रिक्तियाँ और अपर्याप्त प्रशिक्षण

- बिना पूर्व अनुभव के नियुक्त न्यायाधीशों को अक्सर कार्यभार से जूझना पड़ता है।
- **उदाहरण:** बुनियादी प्रक्रियात्मक ज्ञान की कमी के कारण दिल्ली के कुछ न्यायाधीशों को **refresher training** (पुनश्चर्या प्रशिक्षण) लेने की सलाह दी गई थी।

खराब बुनियादी ढाँचा

- कई अदालतों में **पर्याप्त स्टाफ, डिजिटल उपकरण, कार्यशील कोर्टरूम और मुकदमों से संबंधित सुविधाओं** की कमी है।

लंबित मामलों का प्रभाव

- **जनता के विश्वास में कमी:** देरी से मिला न्याय सामाजिक निराशा को बढ़ाता है और न्यायपालिका में विश्वास को कमज़ोर करता है।
- **आर्थिक नुकसान:** अध्ययनों से पता चलता है कि लंबित मामलों के कारण भारत को सालाना **GDP का लगभग 1.5%** नुकसान होता है (विश्व बैंक, 2023)। विलंबित ठेके और रुकी हुई परियोजनाएँ निवेशकों में अनिश्चितता पैदा करती हैं।
- **जेलों में भीड़:** लगभग **77% कैदी विचाराधीन** (undertrials) हैं (NCRB, 2023), जो अक्सर सुनवाई में देरी के कारण होता है।
- **मुकदमेबाज़ी की बढ़ी हुई लागत:** नागरिकों, व्यवसायों और स्थानीय समुदायों को लंबे विवादों का सामना करना पड़ता है।

उठाए गए कदम/सुझाए गए सुधार

1. प्रशासनिक और ढाँचागत सुधार

- ज़िला अदालतों में लिपिकीय कार्यों (समन जारी करना, एकतरफा सबूत दर्ज करना, केस लिस्ट प्रबंधित करना) को संभालने के लिए **समर्पित न्यायिक अधिकारियों** की नियुक्ति करना।
- **लाभ:** न्यायाधीशों को ट्रायल और वास्तविक सुनवाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए **समय मिलता है।**

Result Mitra
9235313184, 9235440806

2. न्यायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन (Mentorship)

- नए सिविल न्यायाधीशों को हाई कोर्ट की प्रक्रियाओं, केस मैनेजमेंट और **फैसला लिखने** का अवलोकन करना चाहिए।
- **उदाहरण:** विभिन्न हाई कोर्ट बेंच के तहत प्रशिक्षण से कार्यकुशलता और फैसले की गुणवत्ता में सुधार होता है।

3. डिजिटल समाधान

- **ई-कोर्ट्स परियोजना:** डिजिटल फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, SMS सूचनाएँ।
- **AI-आधारित शेड्यूलिंग और डैशबोर्ड:** गैर-न्यायिक बोझ को कम करते हैं।
- **विचाराधीन कैदियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** अनावश्यक कोर्ट यात्रा और देरी को रोकता है।

4. विशेष अदालतें और फास्ट ट्रैक तंत्र

- समावेशी न्याय के लिए **POCSO अदालतें, भ्रष्टाचार अदालतें, महिला अदालतें** और **ADR केंद्र**।

5. विधायी सुधार

- CPC प्रावधानों और **execution rules** को सरल बनाना।
- न्याय में देरी करने वाली अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, वैवाहिक कानूनों और किराया अधिनियम जैसे कानूनों की समीक्षा करना।

6. वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास

- **सिंगापुर:** तकनीक-संचालित **ई-मुकदमेबाज़ी (e-litigation) अदालतें**
- **USA:** विशिष्ट अदालतें + **प्ली बार्गेनिंग** (सौदा अभिवचन)
- **EU:** मज़बूत **ADR ढाँचे**

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
www.resultmitra.com
9235313184, 9235440806

आगे की राह (Way Forward)

- **पुराने कानूनों का आधुनिकीकरण:** दुरुपयोग को रोकने के लिए दीवानी और आपराधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
- **न्यायपालिका को मजबूत करना:** भर्ती बढ़ाना, निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को **विकेंद्रीकृत** करना।
- **प्रशासनिक कर्तव्यों को कम करना:** समर्पित कोर्ट मैनेजर और लिपिकीय कर्मचारियों को तैनात करना।
- **डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार:** सार्वभौमिक **ई-फाइलिंग**, AI-सक्षम शेड्यूलिंग, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग।
- **ADR को प्रोत्साहित करना:** औपचारिक मुकदमेबाज़ी को कम करने के लिए मध्यस्थता (Mediation), लोक अदालतें और पारिवारिक समझौते।
- **बुनियादी ढाँचे का उन्नयन:** कार्यशील कोर्टरूम, प्रतीक्षालय और डिजिटल कनेक्टिविटी।

निष्कर्ष

समय पर न्याय एक संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला है। निचली न्यायपालिका को मजबूत करने, प्रक्रियात्मक कानूनों का आधुनिकीकरण करने और प्रौद्योगिकी को अपनाने से भारत की न्याय प्रणाली को लंबित मामलों से भरी संस्था से बदलकर "**सभी के लिए न्याय, समय पर न्याय**" देने वाली संस्था में बदला जा सकता है।

IAS-PCS In

UPSC Mains अभ्यास प्रश्न

प्र। "अधीनस्थ न्यायपालिका बड़े पैमाने पर लंबित मामलों, प्रक्रियात्मक देरी और प्रशासनिक अतिभार का सामना कर रही है। भारत में निचली न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए चुनौतियों का परीक्षण करें और सुधारों का सुझाव दें।"(150 शब्द)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806